रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 2—अप्रैल 8, 2011 (चैत्र 12, 1933)

No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 2—APRIL 8, 2011 (CHAITRA 12, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400001, दिनांक 8 मार्च 2011

संदर्भ : बैंपविवि. सं. आईबीडी. 13982/23.03.022/2010-11--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित किये जाने का निर्देश देता है :--

''स्बर बैंक''

आर. गांधी
कार्यपालक निदेशक

संदर्भ : बैंपविवि. सं. आईबीडी. 13983/23.03.025/2010-11--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित किये जाने का निर्देश देता है :--

''क्रेडिट सुईस ए.जी.''

आर. गांधी
कार्यपालक निदेशक

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 14 मार्च 2011

सं. 13-सी.ए. (परीक्षा)/म/2011/II--इंस्टीट्यूट की अधिसूचना संख्या 13-सीए (परीक्षा)/म/2011 दिनांक 12 जनवरी 2011 में आंशिक परिवर्तन के तहत् सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधान सभा चुनाव के कारण परीक्षा-पत्र संख्या-1, पी.सी.ई., उच्च लेखांकन तथा परीक्षा-पत्र संख्या-1, आई.पी.सी.ई., लेखांकन जोकि 3 मई 2011 को कोलकाता क्षेत्र-I, II तथा III में होना है, उसे स्थगित कर दिया गया है। अब यह परीक्षा अर्थात् पी.सी.ई. तथा आई.पी.सी.ई. का परीक्षा-पत्र संख्या-1, अब 18 मई 2011 को पूर्व निर्धारित समयानुसार 2 : 00 सायं से 5 : 00 सायं होगी।

सर्वसाधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विधान सभा चुनाव के कारण परीक्षा-पत्र संख्या-4, लागत लेखांकन और वित्तीय प्रबंध, पी.सी.ई. तथा परीक्षा-पत्र संख्या-3 लागत लेखांकन और वित्तीय प्रबंध, आई.पी.सी.ई. जोकि 7 मई 2011 को आसनसोल में होनी है, स्थगित कर दिया गया है तथा यह परीक्षा अब 18 मई 2011 को पूर्व निर्धारित समयानुसार 2 : 00 सायं से 5 : 00 सायं होगी।

टी. परमासिवन
वरिष्ठ उपनिदेशक

14. वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा।

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।

एस. चटर्जी
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं सचिव,
केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2011

सं. एन-15/14/17/13/2010-यो. एवं वि--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मार्च, 2011 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पंजाब राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :--

क्रमांक	गांव का नाम	हदबस्त संख्या	तहसील	जिला
1.	भोखरा	160	गुनियाना	बठिण्डा
2.	गिलपट्टी	71	बठिण्डा	बठिण्डा

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

नई दिल्ली, दिनांक मार्च 2011

सं. 4-90/2009 आयु. स्नातकोत्तर विनियम--भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (झ), (ञ) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :--(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) (संशोधन) विनियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

क. धारा 13 की उपधारा 9 तथा धारा 17 की उपधारा 7 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा :--

13(9) अस्पताल में शय्याओं के अधिभोग का वार्षिक अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक होगा।

17(7) अस्पताल में शय्याओं के अधिभोग का वार्षिक अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक होगा।

ख. धारा 15 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा :--

(15) शिक्षक छात्र अनुपात :--शिक्षक छात्र अनुपात इस प्रकार होगा कि स्नातकोत्तर शिक्षकों की संख्या और प्रत्येक वर्ष में प्रविष्ट स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या का अनुपात आचार्य के मामले में 1:3, उपाचार्य के मामले में 1:2 तथा प्राध्यापक के लिये 1:1 का होगा। प्रतिवर्ष प्रति विषय की अधिकतम संख्या 6 से अधिक नहीं होगी।

प्रेमराज शर्मा
सचिव सह निबन्धक

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 के उपबन्ध (झ) और (ञ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से "भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 1989, 2005 तथा नदनन्तर 2011" में आगे संशोधन करते हुये निम्न विनियमों का निर्माण करती है, यथा:--

1. (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2011 कहा जायेगा।

(2) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. टिप्पणी शीर्षक के पैराग्राफ 14 के अन्तर्गत निम्नलिखित को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा :--

"टिप्पणी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अर्हताधारी अभ्यर्थी की अनुपस्थिति में व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक के पद हेतु निम्नलिखित विषयों, जैसा कि उन विषयों के सामने उल्लिखित है, के अभ्यर्थी पात्र होंगे :--

विषय	स्नातकोत्तर शिक्षण
1. स्वस्थवृत्त	1. कायचिकित्सा
2. अगदतंत्र	1. द्रव्यगुण/रसशास्त्र
3. रोग विज्ञान	1. कायचिकित्सा
4. रचना शरीर	1. शल्य
5. क्रिया शरीर	1. संहिता सिद्धांत
6. शालाक्य	1. शल्य
7. पंचकर्म	1. कायचिकित्सा
8. बाल रोग	1. प्रसूति एवं स्त्रीरोग/कायचिकित्सा
9. कायचिकित्सा	1. मानस रोग

क. सहबद्ध विषयों के प्रावधान को पांच वर्षों के लिये अनुमति दी जायेगी।

ख. पिछले विनियमों के आधार पर पूर्व में जिन शिक्षकों को पात्र माना गया था, उन्हें संशोधन के आधार पर अपात्र नहीं माना जायेगा।

प्रेमराज शर्मा
सचिव सह निबन्धक